



विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

144228960
30/11

संख्या / No.
पेंशन प्राधि./आदेश/क- 85/2017-18/3077

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 29/11/17.....

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.),
आन्द्यु उड्डा, शेफाबाद रोड,
लैदराबाद
- 500004 -

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
23-NOV-17



494529


विषय:- (1) राजस्थान राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत आदेशों की प्रतिया दर 139% दिनांक 01.07.2017 से
(2) पांचवे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स/पा. पेंशनर्स को दिनांक 01.07.2016 से 256%, 01.01.2017 से 264% एवं 01.07.2017 से 268% महंगाई राहत आदेश।

महोदय,

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग द्वारा महंगाई राहत वृद्धि के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियाँ सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कौषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

सलग्न:- उपरोक्ता उभार



भवदीय,

लेखाधिकारी/ पेंशन प्राधिकृति

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in